



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-20062026-273684
CG-TL-E-20062026-273684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3102]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3102]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 10 जून, 2026

का.आ. 3225(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में डोर्नकल-विजयवाड़ा से डोर्नकल-भद्राचलम से जोड़ने वाले डोर्नकल जंक्शन पर रेल ओवर रेल (आरओआर) का निर्माण, के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

प्रत्येक ऐसी आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष उप कलक्टर (एलए) आईपीटी और रेलवे, खम्मम, को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष उप कलक्टर (एलए) आईपीटी और रेलवे आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी की जांच करने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : खम्मम जिले में डोर्नकल-विजयवाड़ा से डोर्नकल-भद्राचलम से जोड़ने वाले डोर्नकल जंक्शन पर रेल ओवर रेल (आरओआर) के निर्माण के लिए रघुनाथपालेम मंडल के पापटपल्ली गांव में 4.005 एकड़ और कामेपल्ली मंडल के गरिडेपल्ली गांव में 11.476 एकड़ भूमि अधिग्रहण

गांव :: पापटपल्ली			मंडल : रघुनाथपालेम			जिला :: खम्मम		
क्र.सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	क्र.सं.	सर्वेक्षण सं.	अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़ों में)	अधिग्रहित क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	भूमि का प्रकार (सरकारी भूमि/ निजी)	भूमि की प्रकृति (आर्द्र/ शुष्क)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रघुनाथपालेम	पापटपल्ली	1	322	12.00	4.85	पट्टा	शुष्क
			2	323	17.02	6.88	पट्टा	शुष्क
			3	325	21.24	8.59	पट्टा	शुष्क
			4	326	10.07	4.07	पट्टा	शुष्क
कुल					60.33	24.39		
गांव :: गरिडेपल्ली			मंडल : कामेपल्ली			जिला :: खम्मम		
2	कामेपल्ली	गरिडेपल्ली	1	2	5.02	2.03	पट्टा	शुष्क
			2	3	8.35	3.38	पट्टा	शुष्क
			3	17	5.24	2.12	पट्टा	शुष्क
			4	18	6.35	2.57	पट्टा	शुष्क
			5	19	1.38	0.56	पट्टा	शुष्क
			6	21	14.12	5.71	पट्टा	शुष्क
			7	24	4.06	1.64	पट्टा	शुष्क
			8	25	4.06	1.64	पट्टा	शुष्क
			9	56	0.25	0.1	पट्टा	शुष्क
			10	58	0.37	0.15	पट्टा	शुष्क
			11	59	8.13	3.29	पट्टा	शुष्क
			12	60	7.36	2.98	पट्टा	शुष्क
			13	61	7.35	2.97	पट्टा	शुष्क
			14	72	12.06	4.88	पट्टा	शुष्क

			15	73	1.22	0.49	पट्टा	शुष्क
				कुल	85.32	34.51		

[फा.सं. W.Con.182/SRP-24/DKJ-ROR/25-26/291/20A]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 10th June, 2026

S.O. 3225(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for acquisition of the Special Railway Project for construction of Rail over Rail(ROR) at Dornakal Junction connecting Dornakal- Vijayawada to Dornakal- Bhadrachalam Road line in Khammam District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority, namely Special Deputy Collector (LA) IPT& Railways, Khammam in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority and Special Deputy Collector (LA) IPT & Railways, Khammam shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub section (2) of section 20(D) of the said act shall be final. The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: for acquisition of land to an extent of 4.005 Acres in Papatapalli Village of Raghunadhapalem Mandal and to an extent of 11.476 Acres in Garidepalli Village of Kamepalli Mandal for construction of Rail over Rail(ROR) at Dornakal Junction connecting Dornakal- Vijayawada to Dornakal- Bhadrachalam Road in Khammam District.

Village :: Papatapalli			Mandal: Raghunadhapalem			District :: Khammam		
Sl.No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Sl No.	Survey No.	Extent area (in Acres)	Extent of Area (in Hectors)	Type of land (Govt. land/ Pvt)	Nature of land (Wet/ Dry)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Raghunadhapalem	Papatapalli	1	322	12.00	4.85	Patta	Dry
			2	323	17.02	6.88	Patta	Dry
			3	325	21.24	8.59	Patta	Dry
			4	326	10.07	4.07	Patta	Dry
TOTAL					60.33	24.39		
Village :: Garidepalli			Mandal: Kamepalli			District :: Khammam		
2	Kamepalli	Garidepalli	1	2	5.02	2.03	Patta	Dry
			2	3	8.35	3.38	Patta	Dry
			3	17	5.24	2.12	Patta	Dry

			4	18	6.35	2.57	Patta	Dry
			5	19	1.38	0.56	Patta	Dry
			6	21	14.12	5.71	Patta	Dry
			7	24	4.06	1.64	Patta	Dry
			8	25	4.06	1.64	Patta	Dry
			9	56	0.25	0.1	Patta	Dry
			10	58	0.37	0.15	Patta	Dry
			11	59	8.13	3.29	Patta	Dry
			12	60	7.36	2.98	Patta	Dry
			13	61	7.35	2.97	Patta	Dry
			14	72	12.06	4.88	Patta	Dry
			15	73	1.22	0.49	Patta	Dry
			TOTAL		85.32	34.51		

[F. No. W.Con.182/SRP-24/DKJ-ROR/25-26/291/20A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV